

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/नियु0/मृआ/2019/ 409 दिनांक:- 5/9/2019

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अकितानुसार कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्नलिखित मृतक आश्रितों को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.17 के द्वारा नियत 14600/- रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर कनिष्ठ सहायक का नियमित वेतनमान लेवल इन पे-मेट्रिक्स एल-5 अनुज्ञात किया जावेगा।

क्र० सं०	आश्रित / मृतक कर्मचारी का नाम / पता	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान
1	श्री संदीप व्यास पुत्र स्व० श्री सरोत्तमदास व्यास, निवासी- मोहनोती की पोल, चांद बावडी मोहल्ला, जोधपुर।	14.03.1983	सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर
2	श्री देवेश सिंह पुत्र स्व० श्रीमती गीता रावत, भट्टी की बावडी, कायस्थ सामुदायिक भवन के सामने, शगुन इलेक्ट्रीक वाली गली में, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।	11.08.1999	अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर
3	श्री अनिल भाटी पुत्र स्व० श्री महेन्द्र सिंह भाटी, गली नं० 1, सरगरा कॉलोनी, शिप हाँउस, जोधपुर।	15.08.1986	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
4	श्री अवि बोडा पुत्र स्व० श्री अक्षय कुमार बोडा, निवासी 5 ब्रह्मबाग जालोरी गेट, जोधपुर।	21.09.1991	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
5	श्री विष्णु सिरोहिया पुत्र स्व० श्री गंगा सहाय पूर्विया, ग्राम पोस्ट रौंसी, तहसील नादोती जिला करौली।	10.06.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वाई माधोपुर
6	श्रीमती सरोज कुमारी पत्नि डॉ० विरेन्द्र सिंह, गांव सिगरावली पोस्ट-रहीमगड तहसील वैर जिला भरतपुर।	03.09.1991	निदेशालय मुख्यालय।
7	श्री दीपक पुत्र स्व० श्री भोपाल सिंह, सुपर बाजार के सामने धोबी मोहल्ला भरतपुर	23.07.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर
8	श्री जयेश हरिजन पुत्र स्व० श्री नाथुलाल हरिजन, मु०पो० बिछीवाडा, तह० बिछीवाडा, जिला झुंझुनू।	15.02.1988	अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर
9	श्री अनीष वी० जोई पुत्र स्व० श्रीमती मरियम्मा जोई, 21, प्रेम नगर, रूप सागर रोड उदयपुर राजस्थान पिन:-313001	27.12.1998	अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर
10	श्री हरिश परमार पुत्र स्व० श्रीमती सूरज परमार, मु०पो० उदातफला- वाया सेमारी तह० सेमारी जिला उदयपुर।	02.10.1993	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
11	श्री अजय सिंह सोलकी पुत्र स्व० श्री किशन सिंह गांछा, मकान नं० 66 गायत्री मार्ग, अमल का काँटा उदयपुर।	01.11.1993	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
12	श्री जतिन सिंह पुत्र स्व० श्री सुनील सिंह, बाबा उम्मेद सिंह मन्दिर के पास, बुहाना, जिला झुंझुनू।	02.03.2000	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू
13	श्री बबलू पुत्र स्व० श्रीमती राजबाला, मोडसरा का बास, पोस्ट सीगडा, तह० जिला झुंझुनू।	24.10.1997	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू

14	श्रीमती मीनाक्षी पत्नि स्व० डॉ० संजय कुमार स्वामी, निवासी- गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स औसीया माताजी के मन्दिर के पास, वार्ड नं. 10, सरदारशहर, चुरू।	16.07.1972	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन बीकानेर
15	श्रीमती सुनिता जाजोरिया पत्नि स्व० श्री पवन कुमार चान्दोलिया, मकान नं. 82ए, गोविन्द वाटिका, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।	14.07.1983	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
16	श्रीमती शोभा तंवर पत्नि स्व० श्री सुखदेव, ग्रा०पो० सुरेरा, तह० दांतारामगढ, जिला सीकर।	10.07.1977	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
17	सुश्री सुरभि शर्मा पुत्री स्व० श्रीमती प्रेमवती शर्मा, निवासी आर्य समाज रोड, भरतपुर।	02.09.1995	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय रूकमणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर
18	सुश्री ज्योति मीणा पुत्री स्व० श्री रामगोपाल मीणा, ग्राम पोस्ट-झर (स्टेशन वाली ढाणी), तह० बस्सी, जयपुर 303305।	05.09.1999	मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर
19	श्रीमती वान्ता सैनी पत्नि स्व. मुकेश कुमार सैनी, मकान नं 55, आदर्श नगर, डाबला रोड, वार्ड नं. 10, मुकाम पोस्ट कोटपूतली, जिला जयपुर।	15.06.1989	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बी०डी०एम० चिकित्सालय, कोटपुतली जयपुर
20	श्री हिमाशु पाण्डे पुत्र स्व० श्री सुनील दत्त पाण्डे, निवासी छोटा बाजार, वार्ड नं० 11 कुचेरा नागौर।	08.06.1997	अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
21	श्री अभिनव शर्मा पत्र स्व० श्री मुकेश कुमार शर्मा, प्लॉट नं० 32/507 सेक्टर -3 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर।	27.11.1995	निदेशालय मुख्यालय
22	श्री आदित्य वशिष्ठ दत्तक पुत्र स्व० श्रीमती मीना शर्मा, मकान नं. 764 महावीर नगर, टोंक रोड जयपुर।	30.08.1997	निदेशालय मुख्यालय
23	श्री अक्षत शर्मा पुत्र स्व० श्रीमती साधना शर्मा, पुष्पवाटिका कॉलोनी ग्रामीण बिजली घर के पास भरतपुर राजस्थान पिन नं० 321001	28.09.1997	निदेशालय मुख्यालय
24	श्री ऋषभ शर्मा पत्र स्व० श्रीमती सरिता शर्मा, निवासी 20 ई/90 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।	20.02.1995	निदेशालय मुख्यालय
25	श्री दीपक कुमार पुत्र स्व० श्री झाबर सिंह, ढाणी नया कुंआ ज्योतिबा नगर पोस्ट चला तहसील नीमकाथा जिला सीकर।	10.07.1989	निदेशालय मुख्यालय
26	श्री नवल डोराया पुत्र स्व० श्री भैरूलाल बलाई, पता- एजेन्सी एरिया गुर्जर मौहल्ला देवली वार्ड नं० 17 जिला टोंक राजस्थान पिन कोड 304804।	28.01.1997	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
27	श्री महेश बैरवा पुत्र स्व० श्री शंकर लाल, बैरवा, ग्राम-बीड गनवर पोस्ट-गनवर तहसील-मालपुरा जिला टोंक राजस्थान पिन नं० 304502।	29.08.2000	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
28	श्री आशीष देवडा पुत्र स्व० श्री श्याम सुन्दर, निवासी अमर सिंह कॉलोनी, नागौर।	26.04.2000	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर
29	श्री अंशुल कुमार मीना पुत्र स्व० श्रीमती शशीबाला, ग्राम गढला कलां, वाया पौख, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझनू, 333053।	14.08.1990	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर
30	श्री अभिषेक खीचड पुत्र स्व० श्री हरिराम खीचड, मु०पो० गोकुलपुरा, सीकर।	01.07.1999	मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर
31	श्री विमल कुमार सोगण पुत्र स्व० श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, मु०पो० बावडी, जिला सीकर।	21.07.1991	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
32	श्री प्रहलाद मीणा पुत्र स्व० श्री हरिओम मीणा, मीणों की ढाणी, (करणीपुरा) पोस्ट कूली, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।	05.05.1998	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
33	सुश्री दीपिका मेहतर पुत्र स्व० श्री मन्सू हरिजन, निवासी- मुकाम पोस्ट वस्सी खास, तहसील व जिला डूंगरपुर, राजस्थान।	25.04.1998	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर

34	श्रीमती जीव पदमात् पत्नि स्व० श्री पुष्पेन्द्र पदमात्, मुकाम नवाघरा पोस्ट कनबा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।	06.12.1980	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर
35	श्री दिनेश सोमपुरा पुत्र स्व० श्री महेशचन्द्र सोमपुरा, बी-285 पुनर्वास कॉलोनी, सागवाडा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राजस्थान पिन कोड नं० 314025	26.07.1979	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर
36	श्री राजीव नायक पुत्र स्व० श्री किशनाराम नायक, पता:-11 ए 15, शक्ति नगर पुरानी आंरएचबी, पानी की टकी के पास वार्ड नं० 10 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।	08.11.1996	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
37	श्री नवरतन देवडा पुत्र स्व. श्री चौरूलाल देवडा, बी-83, करणीनगर, शिवशक्ति हनुमान मंदिर के पास, पवनपुरी, बीकानेर, 334003।	11.01.1989	अधीक्षक, पी०बी०एन०एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग बीकानेर,
38	श्री महेन्द्र बारूपाल पुत्र स्व० डॉ० रामप्रसाद ग्राम निवासी पुरानी रोशनीघर के सामने, बांठिया भवन के पीछे, खरनाडा मौहल्ला, बीकानेर।	01.01.1991	अधीक्षक, पी०बी०एन०एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग बीकानेर
39	श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड पुत्र स्व० श्रीमती जुगली बाई, भागाकोट कल्याण कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा।	05.08.1980	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा
40	श्रीमती विजेयता अनीज पत्नी स्व० श्री नरेश कुमार बैरवा, ग्राम मोस्ट रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।	11.05.1986	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा
41	श्री दिगम्बर सिंह पुत्र स्व० श्री जसमत सिंह ग्राम लुलहारा, तह० नदबई, भरतपुर।	14.01.1998	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली
42	श्री अजय कुमार पुत्र स्व० श्री सोरन सिंह, गाव पोस्ट पैधौर नगला-दौदू तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।	02.07.1999	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
43	श्री बलराम मीणा पुत्र स्व० श्री कैलाश चन्द मीना, ग्रा०पो० साथों, तहसील महवा, जिला दौसा।	21.06.1990	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
44	श्री खुशीराम मीना पुत्र स्व० श्री कैलाश प्रसाद मीना, झरवालों की ढाणी, तहसील बसवा जिला दौसा।	15.07.2000	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
45	श्री पयस सेन पुत्र स्व० श्री गणपत सेन, राजकीय नाकोडा पार्श्वनाथ भैरव चिकित्सालय, बिसलपुर, पाली।	18.11.1994	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
45	श्री श्रवण कुमार पुत्र स्व० श्री मोहन लाल, मु०पो० मालवाडा, तह० रानीवाडा, जिला जालोर।	03.10.1998	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर
47	श्रीमती रीना मीणा पत्नि स्व० डॉ० बृजगोपाल मीणा, श्रीराम कॉलोनी, मकान न० 41, ब्लॉक बी, बोरखेडा थाने के सामने बारां रोड, कोटा 324001	01.07.1979	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा
48	श्री शाश्वत पंजवानी पुत्र स्व० श्री स्वामी आनन्द सगी, 66 सिधी कॉलोनी गुमानपुरा कोटा।	27.08.1996	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा
49	श्री विरेन्द्र सिंह पंवार पुत्र स्व० श्रीमती कैलाश बाई, निवासी मकान नं. 1 ए 16, हनुमान मंदिर के पास, सजय गांधी नगर, भाग ब, कोटा।	17.03.1994	अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा
50	श्रीमती दीपा मीणा पत्नि स्व० श्री सजय कुमार मीणा, 49 रेल्वे कॉलोनी वार्ड नं० 3 तहसील बारां।	18.05.1987	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बारां
51	श्रीमती राजलक्ष्मी आर पत्नी स्व० श्री शीईजु वी० वर्गीस, मार्फत विक्रम सिंह गुर्जर आरएससीबी रोड द्वारकाधीश हॉटल के सामने लक्ष्मीनगर, भवानीमण्डी जिला झालावाड, राजस्थान।	19.10.1989	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड
52	श्री सदीप शर्मा पुत्र स्व० श्रीमती मंजूलता शर्मा, मकान न० 3-सी, 1 विकास नगर, शिव मन्दिर के पीछे वाली गली, बून्दी राजस्थान।	10.06.1982	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी
53	श्री रणजीत लाल पूर्बिया पुत्र स्व० श्री मोहन लाल पूर्बिया, पूर्बिया मोहल्ला वार्ड न. 20, कपासन, चित्तौडगढ।	31.05.1993	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ
54	श्री दौलत सिंह सजपुत पुत्र स्व० श्रीमती मंजु देवी, C/O उधम सिंह जादोन, सब्जी मण्डी के सामने गगरार, जिला चित्तौडगढ।	09 11 1998	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ
55	श्री कमलेश कुमार भट्ट पुत्र स्व० श्री जगदीश चन्द भट्ट, पता डी-1 रमेश नगर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ पिन न० 312601।	30 01.1988	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय चित्तौडगढ

56	श्री पवन कुमार मीना पुत्र स्व० श्री सम्पत राम मीना, ग्राम दुब्बी बनास, पोस्ट अजनोटी, जिला सवाईमाधोपुर।	16.07.1999	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर
57	श्री महेश पाण्डिया शर्मा पुत्र स्व० श्री ओम प्रकाश शर्मा, माहेश्वरी मौहल्ला हुरडा जिला भीलवाडा।	28.10.1991	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा
58	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान दत्तक पुत्र स्व० श्रीमती शान्ता देवी चौहान, रामदेवजी के मन्दिर के सामने राजपूतो का मोहल्ला, देवगढ पोस्ट-तह० देवगढ जिला राजसमन्द	25.09.1986	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा
59	श्री ललित भटनागर पुत्र स्व० श्रीमती सुलोचना सक्सेना, निवासी-टाडगढ रोड, धर्मशपुरी तहसील भीम जिला राजसमन्द।	15.01.1991	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द
60	श्री तुषार व्यास पुत्र श्री मुकेश व्यास, मु०पोस्ट मालाखडा जिला अलवर।	27.08.1992	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर
61	श्री अनुग्रह वी०जोशवा पुत्र स्व० श्रीमती लिली मैसी, एस 19 स्तूति हिल्स, महावीर धर्मकाटा के पीछे, गाधीनगर, नाकामदार अजमेर।	13.10.2000	अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ अजमेर

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में नवनियुक्त उक्त आश्रितों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदकों का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाये, परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 17 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में उस विद्यालय का जिसमें अंतिम शिक्षा पायी है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो विद्यालय से संबंधित न हो और न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे। जिसकी जाच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्तव्य पर लेंगे। मृतक आश्रित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से करवाये।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.03.04 के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत उपरोक्त मृतक आश्रित अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण-पोषण करेंगे। नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प05(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 21.09.10 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति पश्चात एक वर्ष के भीतर परिपत्र क्रमांक एफ07(2)कार्मिक/क-2/06 दिनांक 05.07.10 में वर्णितानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ3(1)डीओपी/ए-2/2013 दिनांक 02.01.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत विधवा को टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर प्रशिक्षण से मुक्त रखा गया।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत स्थायीकरण हकदारी हेतु/वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संदर्भ में 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है तो आगामी एक वर्ष परिवीक्षा काल बढ़ाया जा सकेगा जिससे बड़ी हुई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किये जाने पर विभाग/संबन्धित अधिकारी के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ (51) डीओपी/ए-2 88 पार्ट दिनांक 14.06.2013 के अनुसार मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त विधवा को टंकण परीक्षा से छूट दी जाती है।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ/आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शून्य होगी।

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हे नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा।

(2)

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र/ज्ञापन क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश क्रमांक एफ6(4)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश क्रमांक एफ6(5)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 परिपत्र क्रमांक एफ1(4)एफडी/रूल्स/2017-I-II दिनांक 30.10.2017 एवं परिपत्र क्रमांक एफ12(9)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानों से शासित होगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- ई-18/एम/नियु0/मृआ/2019/409 दिनांक:- 5/9/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज0 जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एव स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
- 6- उप निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय मुख्यालय।
- 7- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
- 8- औषधि नियंत्रक मुख्यालय/सहायक औषधि नियंत्रक।
- 9- संबंधित अधीक्षक सलग्न चिकित्सालय समूह...../मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,/ अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.)/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.../मुख्य खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर/ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामु0स्वा0 केन्द्र...../खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।

नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं (रजिस्टर्ड पत्र)

- 10- प्रभारी, सामान्य अनुभाग अराजपत्रित, मुख्यालय।
- 11- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 12- संबंधित मृतक आश्रित को घर के पते पर।
- 13- आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।